न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **53/2019 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री सज्जन सिंह पिता रामनाथ सिंह चारण मु. पोस्ट पारोली वाया पण्डेर तहसील कोटडी ––अपीलार्थी	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित नहीं
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 18-9 .2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटडी के विरूद्ध दिनांक 03.09.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 48 एफ 373325 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 31.07.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटडी को प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 11.09.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कोटडी द्वारा पत्रांक/सूचना का अधि./2020/504–505 दिनांक 23.07.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में तहसीलदार कोटडी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को पत्रांक/504–505 दिनांक 23.07.2020 से सूचना प्रेषित की गयी कि, ''पारस नाथ भगवान पारोली के नाम दर्ज भूमि के संबंध में एल आर एक्ट 1956 प्रकरण संख्या 37/19 व 38/19 विचाराधीन होकर विहित न्यायिक प्रकिया के अनुसरण में कार्यवाही लम्बित है। जिससे अपीलार्थी को वांछित सूचना दिया जाना संभव नहीं है। प्रकरण संख्या 37/19, 38/19 रिकार्ड के अनुसार पत्रावली निर्णय नही होने से विचाराधीन होने के कारण नकल जारी नही की जा सकती है।''

अतएव अपील में अंकित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचित कर दिये जाने से अपील अस्वीकार की जाती हैं।

आदेश आज दिनांक 18-9-.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा